an>

Title: Need to declare the Pipava seaport in Amreli district of Gujarat a Designated Port.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज जो विषय यहाँ पर उठा रहा हूँ, वह मेरे संसदीय क्षेत्र का है। आज पेट्रोलियम उत्पाद के रखरखाव अथवा लॉजिस्टिक्स ने पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। हम लोग जानते हैं कि यूपीए सरकार के शासनकाल के दौरान पहले मूल्य-निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत स्वदेशी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों का सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता था। इस समय, यदि सरकार चाहती, तो पिछड़े पोर्ट्स जैसे पिपावाव पोर्ट, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, उसका विकास अथवा डेजीग्नेशन पोर्ट घोषित करके और वहाँ उपलब्ध वर्ल्ड क्लास स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर का समुचित उपयोग कर सकते थे। लेकिन इससे पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण किया जा सकता था और देशहित में लोकहित के करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान होने से बचाया जा सकता था। लेकिन यूपीए सरकार की नीति जनविरोधी होने के कारण कभी ऐसा नहीं किया गया।

आज मैं, इस पिपावाव पोर्ट का डेजीग्नेशन पोर्ट न होने के अलावा हरेक देश के सभी पेट्रोलियम पीएसयूज, विदेशी कंपनियों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पाद का आयात करने हेतु अपने-अपने जहाजों को दूसरे पोर्ट्स जैसे मुम्बई पोर्ट, जिक्का, मुंद्रा, वाड़िनार, दाहिज, जेएनपीटी इत्यादि पर पेट्रोलियम उत्पादों को उतारने के लिए काफी ट्रैफिक होता है और महंगे होते हैं। सप्ताह भर पेट्रोलियम उत्पाद उतारने वाली जहाजें लाइन में खड़ी रहती हैं और करोड़ों रुपये का पेट्रोलियम पीएसयूज को डैमरेज के रूप में भुगतान करना पड़ता है, जो कि पेट्रोलियम पीएसयू पिपावाव पोर्ट का सदुपयोग करके इस अतिरिक्त खर्च को बचा सकती है।

पेट्रोलियम उत्पादों के रखरखाव अथवा लॉजिस्टिक्स हेतु पिपावाव पोर्ट में वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने और दूसरे पोर्ट्स की अपेक्षा काफी सस्ता है और भारत की कंपनियाँ, जो विदेशी कंपनियों की अपेक्षा काफी सस्ते दर पर पेट्रोलियम उत्पादन करते हैं, लेकिन उन्हें कभी अवसर नहीं मिला।

हमारा संसदीय क्षेत्र अमरेली एक विकसित-शिक्षित जिला है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस सरकार के शासनकाल में हमारे जिला का पूर्ण विकास होगा। पूरे देश के कोस्टल एरिया का ज्यादातर भाग, करीब 1600 किलोमीटर गुजरात में है। यहाँ पूरे देश के साथ-साथ हमारे गुजरात के विकास हेतु मुख्य कारक हैं। हमारे राज्य के विभिन्न पोर्ट्स में से एक पिपावास पोर्ट है, जो हमारे संसदीय क्षेत्र अमरेली डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। इस पोर्ट को डेजीग्नेशन पोर्ट घोषित करने हेतु पीपीएसी ने मंत्रालय को फाइल भेजने की सिफारिश की है। पिपावाव पोर्ट के डेजीग्नेशन पोर्ट घोषित हो जाने से ओएमसी यानी तेल कंपनियों को भारी फायदा होगा और इसके साथ ही देश को एक बड़े राजस्व का लाभ होगा। उसके साथ-साथ हमारे संसदीय क्षेत्र अमरेली का विकास भी होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Dr. Kirit P. Solanki is permitted to associate with the issue raised by Shri Naranbhai Kachhadia.